

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं
कार्यालय, कलेक्टर जिला नीमच मध्यप्रदेश
नीमच, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

क्र. एस.सी-1-2011-837.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 05 (1) (ख) के अंतर्गत संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत अठाना को मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/42-एफ-1-16-2011-अठारह-3 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011 द्वारा ग्राम पंचायत अठाना, जिला नीमच में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 10 अगस्त 2011 के पृष्ठ क्रमांक 759 पर अधिसूचित कर नगर परिषद अठाना तहसील जावद जिला नीमच का गठन किया गया है.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 05 (1) (ख) की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में हो जाने से मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा 125 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, जिला नीमच एतद्वारा ग्राम पंचायत अठाना, तहसील जावद, जिला नीमच को आज दिनांक 04 नवम्बर 2011 को विघटित करता हूँ.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 06 के अंतर्गत अधिसूचना एवं आदेश का प्रसारण ग्राम पंचायत क्षेत्र अठाना जनपद पंचायत जावद, तहसील/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद एवं कलेक्टर कार्यालय के सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर, सर्वसाधारण को (हिन्दी के समाचार-पत्र में) सूचित किया जाता है.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

नीमच, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

क्र. एस.सी-1-2011-839.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 05 (1) (ख) के अंतर्गत संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत नयागांव को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/41-एफ-1-14-2011-अठारह-3 भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011 द्वारा ग्राम पंचायत नयागांव जिला नीमच में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 10 अगस्त 2011 के पृष्ठ क्रमांक 759 पर अधिसूचित कर नगर परिषद नयागांव तहसील जावद, जिला नीमच का गठन किया गया है.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 05 (1) (ख) की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में हो जाने से मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1993 की धारा 125 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, जिला नीमच एतद्वारा ग्राम पंचायत नयागांव, तहसील जावद, जिला नीमच को आज दिनांक 04 नवम्बर 2011 को विघटित करता हूँ.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 06 के अंतर्गत अधिसूचना एवं आदेश का प्रसारण ग्राम पंचायत क्षेत्र नयागांव, जनपद पंचायत जावद, तहसील/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद एवं कलेक्टर कार्यालय के सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर, सर्वसाधारण को (हिन्दी के समाचार-पत्र में) सूचित किया जाता है.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.